

# कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/1686

दिनांक :- 16-7-24


## --:: संशोधित ई-नीलामी सूचना ::--

इस कार्यालय से जारी ई-नीलामी सूचना पत्रांक 1656 दिनांक 15.07.2024 द्वारा श्रीगणेश नगर आवासीय योजना, रावतभाटा के आवासीय भूखण्डों एवं बालाजी नगर (आई.डी. एस.एम.टी.) व्यावसायिक योजना, रावतभाटा के निर्मित दुकानों की नीलामी आयोजित की गयी है। जिसके लिए उक्त सूचना में नियम व शर्तें निर्धारित की गयी हैं। इन निर्धारित नियम व शर्तों के अन्तर्गत नवीन शर्त संख्या (30) के रूप में निम्नानुसार जोड़ी जाती है :-

### नियम व शर्तें :-

(30) दुकान की छत का अधिकार नगर पालिका, रावतभाटा का रहेगा।


अतः उपरोक्त शर्त को उक्त ई-नीलामी सूचना अन्तर्गत शर्त संख्या (30) के रूप में पुनः स्थापित किया जाकर ई-नीलामी सूचना में शामिल किया जाता है। जिसे शर्त संख्या (30) के रूप में पढा व समझा जावेगा और उसी के अनुरूप निर्मित दुकानों की नीलामी निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी।



(मधु कंवर हाडा)

अध्यक्ष

नगर पालिका, रावतभाटा



(मुकेश नागर)

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका, रावतभाटा

क्रमांक/नपारा/भूमि/ 2024-25/1687- 95

दिनांक :- 16-7-24

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर (राज0)।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ।
3. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर (राज0)।
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रावतभाटा।
5. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका, रावतभाटा।
6. समस्त सदस्यगण, नीलाम समिति, नगर पालिका, रावतभाटा।
7. प्रनारी, स्टोर शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त ई-नीलामी सूचना पत्रांक 1656 दिनांक 15.07.2024 में शर्त संख्या (30) उपरोक्तानुसार जोड़ी जाकर प्रचार-प्रसार किया जावे।
8. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका कार्यालय/उपखण्ड कार्यालय/तहसील कार्यालय एवं शहर के मुख्य चौराहों पर चस्था हेतु।
9. सुरक्षित प्रति।



(मुकेश नागर)

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका, रावतभाटा